न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : **12/2021** (राजस्व अपील)
GCMS No. 2021/28

उनवान

1. श्री गौतमलाल मेघवाल पिता स्व. चम्पू जी मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री बाबूलाल मेघवाल पिता स्व. चम्पू जी मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री नगीन पुत्र मेघवाल पिता स्व. चम्पू जी मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री बंशीलाल मेघवाल पुत्र मंगला जी मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री आशीष दोवड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अपील विरूद्ध प्रकरण सं. 01/2021 दिनांक 20.09.2021 तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

*** निर्णय ***

दिनांक– 28-02-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स की कृषि भूमि मौजा महुदरा, तहसील खेरवाड़ा मे स्थित है, जिसके आराजी संख्या 1163 रकबा 0.0300 हेक्टेयर हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स विगत कई वर्षो से अपने पिता एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त स्वयं कृषि कार्य तथा पशुपालन कर अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे है, जिस हेतु कच्चा किस्म के अस्थायी निर्माण किया हुआ है तथा उसमे कृषि हेतु खाद बीज, पशुपालन व अन्य आदि कार्य कर रहे हैं। उक्त भूमि के पीछे की ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि स्थित है, किन्तु मुख्य सडक से पीछे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested

होने से वर्षो से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट्स की भूमि हथियाने के उद्देश्य से उसे परेशान करता है। पुराने अस्थायी निर्माण को नया निर्माण बताते हुए उसने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा मे प्रकरण संख्या 281/2020 अपीलान्ट्स के विरूद्ध दर्ज कराया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.10.2020 को अपीलान्ट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर उसके द्वारा किये गये पुराने अस्थायी निर्माण को हटाने के आदेश दिये गये, जिस पर अपीलान्ट्स की ओर से दिनांक 06.10.2020 को एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151जा.दी. प्रस्तुत कर पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 424/2020 दर्ज कर दिनांक 27.10.2020 को दोनो पक्षों को सुनवाई का मौका देकर अपीलान्ट्स का प्रा.पत्र स्वीकार किया तथा पूर्व मे दिनांक 01.10.2020 को पारित निर्णय को अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक अपील संख्या 02/2021 इस न्यायालय मे प्रस्तुत की, जिसमे बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड़ किया गया। अधिनस्थ न्यायालय मे पुनः प्रकरण संख्या 01/2021 दर्ज हो अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने जवाब एवं साक्ष्य हेतु समय चाहा, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तण दिनांक 01.09.2021 को अन्यत्र तहसील मे हो गया था। इसके बावजूद अपीलान्ट्स के जवाब एवं साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिनांक 20.09.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स के विरूद्ध उसके द्वारा वर्षो पूर्व किये गये अस्थायी निर्माण को 15 दिवस मे हटाने का आदेश पारित कर दिया। न्यायालय द्वारा बहस सुनने के बाद भी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने की दशा मे कोई निर्णय पारित करना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना न कर कथित निर्णय पारित कर विधिक अवहेलना की हैं, जबकि ऐसा निर्णय पारित करने की उनकी अधिकारिता नहीं थी। इसी मार्ग पर अन्य खातेदारो द्वारा किये गये स्थायी पक्के निर्माण की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नहीं दी गई। इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 मे वर्णित परिभाषा मे कृषि कार्य मे उद्यान कृषि, पशु प्रजनन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग तथा वन विकास सम्मलित किया गया है एवं इसी संदर्भ मे उचित निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की ज़ाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 को अपास्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज र[illegible] किया गया [illegible] रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री [illegible]ष दोवड़िया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2

की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। उभय पक्ष द्वारा बहस हेतु अनुरोध करने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रांरभ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को देाहराते हुए इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय मे दिये गये विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान न करना, मौके पर अपीलान्ट्स का पुराना अस्थायी निर्माण होना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 की पूर्णतया पालना होना, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व के प्रकरण संख्या 424/2020 मे बाद सुनवाई भूमि का व्यवसायिक उपयोग नही माना गया जाना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है, जो समुचित नहीं है। प्रकरण मे समस्त कार्यवाही द्वेषतावश की जाने से अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि प्रकरण मे जवाब का समुचित अवसर दिया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कथित निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का था एवं उनके द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करते समय यद्यपि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया था, किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुए थे एवं पद पर रहते हुए ही उनके द्वारा निर्णय पारित किया गया है। निर्णय मे कोई त्रुटि हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं हैं। अपीलान्ट्स द्वारा नियम विरूद्ध व्यवसायिक कार्य करने हेतु कृषि भूमि पर बिना रूपान्तरण कराये उक्त संरचना खड़ी की हैं एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मेन रोड़ पर पक्का निर्माण कर शटर ड़ाल रखे है। अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावें एवं वर्णित आराजीयात पर बिना संपरिवर्तन कराये किये जा रहे निर्माण को हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे प्रकरण संख्या 02/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया था, जिसके अनुसरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 01/2021 दर्ज कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20.09.2021 पारित कर पटवार मण्डल बायड़ी के राजस्व ग्राम महुदरा की आराजी संख्या 1163 रकबा 0.0300 हेक्टेयर पर अपीलान्ट्स द्वारा किये गये निर्माण को नियम विरूद्ध एवं अवैध घोषित कर 15 दिवस मे हटाने के आदेश पारित किये हैं। प्रकरण मे अपीलान्ट्स द्वारा मुख्य आपत्ति यह व्यक्त की है कि निर्णय दिनांक 20.09.2021 को पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Budkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है, किन्तु राजस्व मण्ड़ल द्वारा तहसीलदार खेरवाड़ा का स्थानान्तरण निर्णय पारित करने से पूर्व हो चुका था। इस संबंध मे पत्रावली मे उपलब्ध जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ1(ब)1(3)स्था/2020/875 दिनांक 27.09.2021 के कार्यमुक्ति आदेश से स्पष्ट है कि राजस्व मण्ड़ल द्वारा दिनांक 01.09.2021 द्वारा पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण खेरवाड़ा से कुराबड़ किया जाने से उन्हे कार्यमुक्त किया गया है। स्थानान्तरण पर निर्णय पारित करने के संबंध मे मेरे द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल भाग द्वितीय नियम 132 का अवलोकन किया गया। जिसमे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि–

''जब किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जावे तो वह निर्णय के लिये रखे मुकदमे मे निर्णय लिखकर स्थानान्तरण पर जावेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सके तो अपने नये स्थान पर पत्रावलियों को ले जावेगा और वहां निर्णय पूर्ण करने के बाद अपने उतराधिकारी को प्रेषित करेगा, जो उसको सुनायेगा। यदि रिकॉर्ड बहुत भारी होने या अन्य किसी महत्वपूर्ण कारण से उसका रिकार्ड साथ ले जाना ठीक नहीं समझा जावे तो निर्णय स्थानान्तरण होने से पूर्व ही लिखा जावें।''

आलोच्य प्रकरण मे दिनांक 13.09.2021 की फर्द पर अंकित अनुसार दिनांक 20.09.2021 को पत्रावली आदेश मे रखी होना पाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि स्थानान्तरण तिथि 01.09.2021 के पश्चात ही पत्रावली प्रकरण मे सुनवाई हेतु रखी जाकर निर्णय पारित किया है। स्थानान्तरण से पूर्व पत्रावली निर्णय हेतु रखी हो अथवा प्रकरण मे बहस सुन ली गई हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से कथित निर्णय अपास्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested